पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/स्थापना–व्यय–15–08/2020 ज॰सं॰ ...10...

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक 04/09/2020

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के मांग संख्या– 50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट मुख्य शीर्ष **2702– लघु सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण/ 01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**75.140**

कुल आवंटित राशि – **रूपये पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र।**

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट उपबंध रू॰ 11065.06 लाख **(एक सौ दस करोड़ पैंसठ लाख छः हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003,एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें, ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।

11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**

12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।

16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

02/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 10 रॉची, दिनांक :– 04/09/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/देवघर/दुमका/गिरीडीह सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

02/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 10 रॉची, दिनांक :– 04/09/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(अशोक कुमार दास) संयुक्त सचिव (अभि॰)	02/09/20 (प्रशांत कुमार) सचिव

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल
लघु शीर्ष–005 अन्वेषण/उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 10 दिनांक 04/09/2020 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2020–2021		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50S270202005010101	50S270202005010110	50S270202005010112	50S270202005010213	50S270202005010315	50S270202005010316	50S270202005010323	50S270202005010333	50S270202005010334	50S270202005010337	50S270202005010442	50S270202005010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	लघु सिंचाई अंचल, देवघर	पूर्व का आवंटन	16.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	16.950	
		अतिरिक्त आवंटन	21.940	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.940	
		कुल आवंटन	37.940	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	38.890	
2	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–रॉची	पूर्व का आवंटन	95.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	95.800	
		अतिरिक्त आवंटन	52.000	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	53.200	
		कुल आवंटन	147.000	0.000	0.000	0.200	1.15000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	149.000	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		73.940	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	75.140	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रूपये पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

02/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव